Nestlé Nutrition Institute

Science for Better Nutrition

Invites you for a Scientific Conference

on

" NUTRITIONAL MANAGEMENT OF LBW INFANTS "

Date : 25 - 08 - 2012

Time : 8 :30 PM

Venue : Hotel Clarks Inn Grand
Gorakhpur

Strictly for the invited members related to medical profession only

Nestlé Nutrition Institute

Science for Better Nutrition

Agenda

8 : 30 p.m.	:	Opening
8 : 40 p.m.	:	"NUTRITIONAL MANAGEMENT OF LBW INFANTS " By- Dr. Raghuram Mallaiah (Chief of Neonatology) Fortis La Femme Hospital, Greater Kailash, New Delhi
9 : 10 p.m.	:	Open House
9:30 p.m.	:	Closing

हिन्दुस्तान, गोरखपुर
२८ अगस्त २०१२

डॉक्टरों के साथ कम्पनी की शनिवार रात हुई मीटिंग पर

डिब्बाबंद दूध कंपनी संग बैठ

गोरखपुर | वरिष्ठ संवाददाता

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के गोरखपुर चैप्टर ने स्वीकार कर लिया है कि डिब्बाबंद दूध बनाने वाली कम्पनी के साथ चिकित्सकों की बैठक अवैध थी। एक होटल में शनिवार की रात कम्पनी ने चिकित्सकों के साथ बैठक की थी जिसे आईएमए ने गंभीरता से लेते हुए रविवार को देर रात तक बैठक की। कंपनी की बैठक में पहुंचने वाले डॉक्टरों से जवाब-तलब हुआ तो एक बाल रोग विशेषज्ञ ने अपनी भूल स्वीकार कर आईएमए से इस्तीफे की पेशकश कर दी। संगठन ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत देकर छोड़ दिया।

डिब्बाबंद दूध बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने चिकित्सकों को एक गोष्ठी के बहाने सिविल लाइन स्थित होटल में बुलाया था। कई दर्जन डॉक्टर बैठक में पहुंचे। उन्हें बताया गया था कि बैठक के बहाने कम वजन वाले नवजातों के विकास पर चर्चा होगी। शिशु आहार एक्ट के मुताबिक ऐसी किसी भी बैठक में डॉक्टरों के जाने की मनाही है।

मामले की जानकारी होने के बाद आईएमए ने रविवार की रात संगठन सदस्यों की बैठक बुलाई जिसमें वह चिकित्सक भी पहुंच गए जो कम्पनी की बैठक में गए थे। उनसे जब जवाब तलब हुआ और नियम बताए गए तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और इस्तीफा देने लगे। आईएमए ने उन्हें समझाबुझाकर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया।

तलब हुए डॉक्टर

- मामले को गंभीरता से लेते हुए आईएमए ने चिकित्सकों की बैठक बुलाकर जवाब मांगा
- एक बाल रोग विशेषज्ञ ने अपनी भूल स्वीकार कर बैठक में इस्तीफा तक पेश कर दिया

डिब्बाबंद दूध, बंद कमरा...डॉक्टरों संग बैठक

'हिन्दुस्तान' ने 26 अगस्त को यह खबर प्रकाशित की थी

कम्पनी से होगा जवाब तलब

आईएमए अब उस बहुराष्ट्रीय कम्पनी से भी जवाब तलब करेगी जिसने बैठक में डॉक्टरों को बुलाया था। कम्पनी से पूछा जाएगा कि गोष्ठी के बहाने गलत विषय बताकर चिकित्सकों को क्यों इकट्ठा किया गया? संगठन जल्द ही एक गाइडलाइन भी जारी करने जा रहा है जिसमें डॉक्टरों को निर्देश होगा कि वे इस तरह की बैठक में न जाएं।

इसलिए अवैध है बैठक

भारतीय शिशु आहार एक्ट 2003 के मुताबिक दो साल तक के बच्चों के लिए डिब्बाबंद दूध या आहार बनाने वाली कोई भी कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को न तो कोई सैम्पल या गिफ्ट दे सकती है न किसी प्रकार की मीटिंग या भोज पार्टी दे सकती है। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा और 5 हजार रु जुर्माना का प्राविधान है।

क्यों बना यह कानून

पूरे विश्व में शिशुओं के लिए दूध और : व्यापारिक गतिविधियों से माँ के दूध पि मृत्यु एवं कुपोषण की दर बढ़ गई। दुनि हो कर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माँ के सब्स्टीच्यूट इंटरनेशनल कोड' बनाया : व्यापारिक मापदण्ड तय करता है। कंपा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने किया जिसे भारत समेत 70 देशों ने अ पर कानून बनाने की घोषणा की।

कानून से नहीं बढ़ पाता व्यापार

जिन देशों में यह कानून है वहां डिब्बा बंद दूध का व्यापार बढ़ नहीं रहा है जबकि ज निर्माता कंपनियों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इस कानून के कारण ही भारत में साल से महज 150 मिलियन डालर पर रुका हुआ है। जबकि चीन जहां यह कानू 10 साल में 10 गुना बढ़ कर 3500 मिलियन डालर हो चुका है। भारत में व्यापार : कंपनियां हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं।

सुभाष, मलांव

इस जर्जर पुल पर गिरकर रोज कोई न कोई घायल हो जाता है। चार साल से पुल की यही स्थिति है। इसके बाद भी पुल की ठीक से मरम्मत नहीं कराई जा रही है। अब लापरवाही हुई तो किसी भी दिन खतरा हो सकता है।

अमरेश, अतरौली

नकबैठा पुल की हालत बहुत दिन से खराब है हर छह महीने में विभाग वाले पुल पर चकती लगाते हैं। एक बार ठीक से काम हो जाता तो शायद कुछ दिन तक पुल ठीक रहता। जब इस पुल से आते-जाते हैं दुर्घटना होने का भय लगता है।

अजय राय, बघराई

गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर नकबैठा अहम पुल है। जिस दिन यह पुल बैठ जाएगा उस दिन इलाहाबाद व वाराणसी की गोरखपुर से संपर्क कट जाएगा। गोरखपुर जाने वाले लोग तो हर रोज पुल पर परेशान हो रहें हैं।

श्रवण, कोड़ार

पिछले साल मरम्मत के नाम पर इस पुल पर तारकोल चढ़ाया गया था। हालांकि यह पुल बेकार हो गया जब तक यहां नया पुल नहीं बनेगा तब तक इस पर यात्रा के दौरान खतरा बना रहेगा। यहां जल्द नया पुल बनवाना बहुत जरूरी है।

अब वेंडरों का कराया जाएगा चरित्र सत्यापन

गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर तैनात वेंडरों को अब पुलिस से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र जीआरपी थाने और आरपीएफ पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर संबंधित आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी थाने पर देना होगा। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक लखनऊ मंडल के निर्देश पर वेंडरों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में कुल 11 वेंडरों का चरित्र सत्यापन कराया जाना है। अब तक इन वेंडरों को रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने और आरपीएफ पोस्ट पर तैनात अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा हैं। नए आदेश के तहत अब वेंडरों को अपने मूल निवास का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथ ही संबंधित थानेदार, सीओ और एसपी से सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र देना होगा। चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर स्थानीय राजकीय रेलवे पुलिस थाने और आरपीएफ पोस्ट पर जमा कर देना है।

हिन्दुस्तान, गोरखपुर, शनिवार, 26 अगस्त 2011

डिब्बाबंद दूध, बंद कमरा...डॉक्टरों संग बैठक

गोरखपुर | वरिष्ठ संवाददाता

डिब्बाबंद दूध बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के प्रतिनिधियों ने शनिवार की रात सिविल लाईन के एक होटल के बंद कमरे में शहर के चुनिंदा डॉक्टरों के साथ बैठक की। उसमें महानगर के एक दर्जन से ज्यादा चिकित्सक शामिल हुए। बैठक के दौरान डॉक्टरों के मोबाइल फोन ऑफ रहे। बैठक के उद्देश्य के बारे में आयोजक और डॉक्टर मीडिया से बात करने से कतराते रहे।

बैठक में कम वजन के नवजात शिशुओं में पोषण विषय पर स्लाइड के जरिए चर्चा की गई। बताया गया कि ऐसे शिशुओं के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता।

दरअसल शिशु आहार एक्ट 2003 के मुताबिक डिब्बाबंद दूध बनाने वाली कोई भी कम्पनी न तो डॉक्टरों की बैठक बुला सकती है और न ही उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन (जिसमें दावत भी शामिल है) दे सकती है। एक्ट के अनुसार इस तरह की बैठक पर सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है।

गोपनीय बैठक

- शहर के एक दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों ने बैठक में हिस्सा लिया
- बैठक में डॉक्टरों के ऑफ रहे मोबाइल
- कुछ भी बोलने से कतरा रहे आयोजक और डॉक्टर
- शिशु आहार एक्ट के अनुसार प्रतिबंधित है इस तरह की मीटिंग

शहर के एक होटल में इस तरह की बैठक की खबर जब स्थानीय मीडिया को लगी तो पत्रकार उस होटल में पहुंच गए। आयोजकों ने मामले की गम्भीरता समझ कर किसी भी मीडियाकर्मी को न तो अन्दर जाने दिया न ही किसी से बात की। बैठक में शामिल डॉक्टर भी बड़ी सावधानी से एक-एक करके बाहर निकले और तेजी से गाड़ी में बैठकर चलते बने।

कार्ड के जरिए आमंत्रित थे डॉक्टर

इस बैठक के लिए डॉक्टरों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। कार्यक्रम की तैयारी एक सप्ताह से चल रही थी। शहर के तमाम बाल रोग विशेषज्ञों ने यह कहते हुए इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया कि यह बैठक चिकित्सकीय नैतिक मूल्यों के विरूद्ध है।

पूरी तरह से अवैधानिक है बैठक

बीआरडी मेडिकल कालेज के प्राचार्य और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. केपी कुशवाहा ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि इस तरह की बैठक पूरी तरह से अवैधानिक है। शिशु आहार एक्ट के अंतर्गत डिब्बाबंद दूध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की बैठक की ही नहीं जा सकती। ऐसी बैठक में चिकित्सकों का जाना शिशु आहार एक्ट का उल्लंघन है।